मुख्य सचिव, हरियाणा द्वारा विभागाध्यक्षों आदि को सम्बोधित परिपत्र क्रमांक 810–4 जी0एस0–I–75 दिनांक 14 मार्च, 1975 की प्रति ।

विषय : पंजाब सी0एस0आर0 वोल्यूम–1, पार्ट–I के नियम 8.21 के तहत सेवा निवृति पूर्व अवकाश को न दिए जाने के संबंध में :

महोदय,

मुझे निदेश हुआ है कि मैं आपका ध्यान हरियाणा सरकार के परिपत्र क्र0 945–3 जी0एस0 II–71, दिनांक 30 अप्रैल, 1971 में जारी की गई हिदायतों की ओर दिलाऊं जिसमें और बातों के साथ यह भी कहा गया था कि जब कोई कर्मचारी सेवा निवृति पूर्व अवकाश पर जाना चाहता है तो वह इस संबंध में लिखित रूप में विभागाध्यक्ष को (प्रशासकीय विभाग को एक अग्रिम प्रति भेजते हुए) उस तिथि से 4 महीने पहले सूचित करे जिससे वह छुट्टी पर जाना चाहता है या उसके केस में सेवा निवृति पूर्व छुट्टी के आरम्भ होने की तिथि से 4 महीने पहले यह भी कहा गया था कि अस्वीकृत सेवा निवृति पूर्व छुट्टी का लाभ दिये जाने वाले सभी मामले मुख्य सचिव (सामान्य सेवाएं शाखा) को ऐसी छुट्टी के लिए प्राप्त आवेदन पत्र की तिथि के एक महीने के अन्दर-अन्दर भेजे जाएं ।

2. अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के बारे में सरकार ने हाल ही में यह निर्णय लिया है कि (मुख्य सचिव के पत्र, क्र0 1206–एस–74/5755 दिनांक 25 अप्रैल, 1974 में जारी की गई हिदायतों द्वारा) सेवा निवृति के पूर्व आवेदन पत्र कम से कम उस तिथि से 2 महीने पहले प्रस्तुत किए जाएं जिससे कि वे छुट्टी पर जाना चाहते हों। अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के बारे में इन हिदायतों के जारी होने के पश्चात् यह उचित समझा गया है कि वही हिदायतें राज्य सरकार के दूसरे कर्मचारियों के केस में भी लागू की जाएं ।

3. इसलिए यह निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार के वे कर्मचारी जो सेवा निवृति पूर्व छुट्टी पर जाना चाहते हों, उन्हें कम से कम उस तिथि से 2 महीने पहले आवेदन पत्र देना चाहिए जिससे कि वे छुट्टी पर जाना चाहते हैं। दो महीने से कम समय के नोटिस को छुट्टी में से काट लिया जाएगा । जिन मामलों में लोक हित में छुट्टी अस्वीकार की जानी है वे वर्तमान हिदायतों के अनुसार मुख्य सचिव (सामान्य सेवाएं शाखा) को पूर्ण रूप में उस तिथि के कम से कम 21 दिन पहले पहुंच जाने चाहिएं जिससे कि सेवा निवृति पूर्व छुट्टी शुरु होनी है ।

4. सेवा निवृति पूर्व छुट्टी के लिए आवेदन पत्र देने के लिए नोटिस के समय को 4 महीने से घटा कर 2 महीने किए जाने के कारण यह जरुरी होगा कि ऐसी छुट्टी के लिए सभी आवेदन पत्र बगैर किसी देरी के परम अग्रता से निपटारा जाएं ताकि उस तिथि से पहले अवश्य निर्णय लिया जा सके जिस तिथि से कि सरकारी कर्मचारी छुट्टी पर जाना चाहत है।

5. उपरोक्त हिदायतें सभी संबंधित कर्मचारियों द्वारा दृढ़ता से पालन करने के लिए नोट कर ली जाएं इन हिदायतों की कृपया पावती भी भेजी जाए ।

भवदीय/

हस्ता/

उप सचिव, सामान्य प्रशासन,

कृते: मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

एक-एक प्रति वित्तायुक्त, राजस्व हरियाणा तथा हरियाणा के सभी प्रशासकीय सचिवों को सूचना तथा दृढ़ता से पालना के लिए भेजी जाती है ।